क्र	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या 93/2025 अनवान गणपतसिंह व अन्य बनाम देवीसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का पेश किया, जिसकी प्रति वकील प्रार्थीगण को दिलाई गई। उभयपक्ष की प्रकरण में प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में पूर्व में न्यायालय हाजा में निगरानी प्रार्थीगण के पिता रामसिंह के द्वारा पेश की गई थी, जिसमें पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा होने से प्रकरण दिनांक 13.04.2022 को जरिये राजीनामा निस्तारण किया गया। वर्तमान में रामसिंह के जीवनकाल में ही प्रार्थीगण ने नये सिरे से जैर निगरानी पेश की है, जो कि पोषणीय नहीं है। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाते हुये जैर निगरानी याचिका को निरस्त फरमावे। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता के द्वारा पूर्व में न्यायालय हाजा में निगरानी पेश की गई थी, जो कि आपसी राजीनामा के आधार पर निस्तारित की गई थी, परन्तु राजीनामा की शर्तों की अप्रार्थी द्वारा पालना नहीं किये जाने से उक्त निगरानी पुनः न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई। चूंकि पूर्व में निगरानी पर मेंरिट के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया जाकर केवल राजीनामा के आधार पर किया गया था। अतः हस्तगत निगरानी याचिका जैर निगरानी पट्टे की सत्यता एवं वैधानिकता का वास्तविक परीक्षण किये जाने हेतु पेश की गई है, जो कि न्यायालय हाजा में पोषणीय है। इसलिये अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को निरस्त फरमावे। उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि प्रार्थीगण के पिता रामसिंह द्वारा पूर्व में न्यायालय हाजा में निगरानी संख्या 64/2018 पेश की थी, जिसका निस्तारण दिनांक 13.04.2022 को पक्षकारों के मध्य हुए आपसी राजीनामें के आधार पर किया गया था। यद्यपि उक्त आदेश मेरिट के आधार पर नहीं किया जाकर राजीनामा के आधार पर पारित हुआ था तथापि वह वर्तमान में वैध न्यायिक आदेश है तथा उसके रहते हुए उसी विषय–वस्तु और उसी पट्टे के सम्बन्ध में पुनः निगरानी प्रस्तुत किया जाना विधिसम्मत नहीं है। विधिनुसार एक ही पक्षकारों के बीच, एक ही विषय पर और उसी धारा के अन्तर्गत, पुनः अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता, विशेषतः तब जब पूर्व में न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा चुका हो और वह वर्तमान में अस्तित्व में है, जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। यदि प्रार्थीगण को पूर्व में हुये राजीनामें की शिकायत थी तो उस सम्बन्ध में पृथक से विधिक उपचार करने हेतु प्रार्थीगण स्वतंत्र थे लेकिन उसकी आड़ में पुनः उसकी पट्टे की नई निगरानी दायर कर अनुचित रूप से समान राहत प्राप्त करने का प्रयास किया। हस्तगत निगरानी याचिका में प्रार्थीगण द्वारा यह तथ्य नहीं बताया गया कि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा द्वारा	

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या 93/2025 अनवान गणपतसिंह व अन्य बनाम देवीसिंह व अन्य
	पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है, यह Misrepresentation तथा Suppression of Material Facts की श्रेणी में आता है, जो कि न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु अयोग्य आचरण माना जाता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा जिस संकल्प एवं उसकी पालना में जारी पट्टे बाबत् अनुतोष चाहा गया है उसके सम्बन्ध में पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है, अतः पुनः निगरानी दायर कर वही अनुतोष प्राप्त करना न्यायोचित और विधिसंगत नहीं है। चूंकि विवादित पट्टे के सम्बन्ध में पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा आपसी सहमति से अन्तिम निर्णय पारित किया जा चुका है, तथा वर्तमान निगरानी याचिकाकर्त्ता पूर्व पक्षकार के पुत्र है अतः हस्तगत निगरानी याचिका रेस ज्यूडिकेटा एवं प्रिविटी ऑफ पार्टी से पूर्णतः बाधित है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त (1999) 5 SCC 590 Hope Plantations Ltd. Vs Taluk Land Board में यह स्पष्ट किया कि एक ही विषय पर बार–बार वाद दायर करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। रेस ज्यूडिकेटा केवल पक्षकारों पर ही नहीं बल्कि उनके प्रिवीज पर भी लागू होता है। इसी तरह अन्य न्यायिक दृष्टान्त AIR 1960 SC 941 Satyadhyan Ghosal vs Deorajin Debi के अनुसार "The principle of res judicata is based on the need of giving finality to judicial decisions." तथा न्यायिक दृष्टान्त (2016) 4 SCC 434 Nagabhushanammal vs C. Chandikeswaralingam के अनुसार "A subsequent proceeding on the same cause of action is barred by res judicata even if filed by a successor." लिहाजा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका खारिज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलक्टर, पाली अति. जिला कलेक्टर, पाली